

14/5/18

पञ्जावली होम कॅम्प कोर्ट अड्डागोप में पेश की
प्रकरण से संबंधित वाद पत्र का निर्दिष्ट हो पुरा हो
अपना प्र. पत्र अर्थात् आदेश का जारी रखने का
कोई आश्चित्य नहीं की प्र. पत्र अर्थात् आदेश
को इसी पत्र पर खारीज किया जाता है पञ्जावली
कॅम्पल अगार होकर नरेश से कम ही तथा फाइल
दफ्तार हो

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवादी (मुन्मुन्)